

18.10.21.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज
दिलाई गई, न अधिवक्ता अपीलान्ट
और न स्वयं अपीलान्ट उपस्थित आये।
अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम घेरनी
में रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाके बाद
जाह्न कारखेळ दफतर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)